कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

//आदेश//

दिनांक 29 /08/2018

क्रमांक 1714/289/आउशि/अनु–ब/18 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31.03.18 में शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष स्थापित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में शासकीय अनुदान प्राप्त प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष स्थापित की जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजपत्र प्रकाशन दिनांक 31.03.18 से इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक के मध्य 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त नहीं मानते हुए उनकी सेवाएं सवैतनिक निरंतर मानी जावें।

प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित।

(अजीत कुमार)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक: 1715 /223/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 29 /08/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
7. समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
9. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी. सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।

(डॉ. सुषमी दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश